भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3074

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग-548सी का निर्माण

3074. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग-548सी के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में बीड-पटना-मजलगांव खंड (51-101 किमी) सहित उक्त राजमार्ग का निर्माण कार्य 2017 में आरम्भ हुआ था और इसे 31 जुलाई, 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था और यदि हाँ, तो इस संबंध में छह वर्षों की देरी के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त राजमार्ग से गाँव को जोड़ने वाली 600 मीटर लम्बी सड़क को अवरुद्ध करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या (i) मजलगांव से कैज (ii) कैज और कुशलंब (160-220 किमी) के बीच का निर्माण कार्य, विशेषकर यरमाला और कुशलंब खंड पर और मंजरी पुल निर्माण कार्य और (iii) बीड जिले में सडोला के निकट दो पुलों का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त कार्यों के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधि सहित इस पर अब तक कितनी राशि व्यय हुई है;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में संबंधित ठेकेदार और उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उक्त अधूरे कार्य के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्ति के निकटतम संबंधी को कितना मुआवजा दिया गया है; और

(ज) सरकार द्वारा उक्त कार्य को घोषित गुणवत्ता मानकों के अनुसार और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-548सी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। इसमें से 708 किलोमीटर लंबाई में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 12 किलोमीटर लंबाई में कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और वित्तीय वर्ष 2027-28 में चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-548सी के बीड-पटना-मजलगाँव खंड के विकास हेतु 51+262 किलोमीटर से 101+740 किलोमीटर के बीच इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) कार्यान्वयन पद्धति पर निर्माण कार्यों को सरकार द्वारा 25.01.2017 को मंजूरी दी गई थी। चयनित संविदाकार को निर्माण कार्य शुरू करने की नियत तिथि 01.08.2017 को सूचित की गई तथा निर्धारित समापन तिथि 31.07.2019 थी। उपरोक्त राजमार्ग पर गाँव को जोड़ने वाली 600 मीटर सड़क सहित सिविल निर्माण कार्य, मौजूदा राष्ट्रीय

राजमार्ग मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) पर विवाद, अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण में देरी और अन्य निर्माण-पूर्व गतिविधियों के कारण निर्धारित समयावधि में कार्य पूरा नहीं हो सका।

(ग) उपरोक्त राजमार्ग पर गांव को जोड़ने वाली 600 मीटर सड़क का कार्य मौजूदा मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) विवादों और स्थानीय विरोध के कारण अधूरा है।

(घ) से (च) माजलगाँव से कैज खंड और कैज से कुसलाम्ब के विकास हेतु परियोजनाओं को सरकार द्वारा 938.35 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल पूँजीगत लागत पर स्वीकृत किया गया है और अब तक 690.00 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। इन राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों में शेष सिविल कार्य मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) पर विवाद, अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण में देरी और अन्य निर्माण-पूर्व गतिविधियों के कारण लंबित हैं। राज्य सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय से सभी लंबित मुद्दों का पर्याप्त समाधान कर लिया गया है और शेष कार्य चरणबद्ध तरीके से दिसंबर, 2025 तक पूरा करने के लक्ष्य के साथ कार्यान्वयनाधीन हैं। इन शेष कार्यों को पूरा करने के लिए किसी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता नहीं है और ये परियोजनाएँ स्वीकृत कुल पूँजीगत लागत के भीतर पूरी हो जाएँगी।

(छ) इन राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर तेज गति, लापरवाही से वाहन चलाने, हेलमेट न पहनने, शराब पीकर वाहन चलाने आदि के कारण दुर्घटनाएँ हुई हैं। सरकार ने दिनांक 25 फरवरी, 2022 के सा.का.नि 163(अ) के माध्यम से हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें गंभीर चोट लगने पर मुआवजा प्रदान करने हेतु हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 अधिसूचित की है। यह योजना 1 अप्रैल, 2022 से लागू की गई है। योजना के अनुसार, मृत्यु की स्थिति में 2.00 लाख रुपये की एक निश्चित राशि और गंभीर चोट लगने की स्थिति में 50,000 रुपये की एक निश्चित राशि दी जाएगी।

(ज) राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी और जाँच के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सरकार और भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देशों द्वारा निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाता है। यदि कोई अवमानक निर्माण कार्य पाया जाता है, तो उसे हटाकर विनिर्देशों के अनुसार पुनः बिछाया जाता है। यह संविदा/रियायत अनुबंध में निर्दिष्ट गुणवत्ता आश्वासन/नियंत्रण के कार्यान्वयन हेतु दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण हेतु प्राधिकरण के अभियंता/स्वतंत्र अभियंता के रूप में सलाहकारों की नियुक्ति द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) और डेटा लेक, भूमि राशि पोर्टल (भूमि अधिग्रहण के लिए) जैसे उन्नत डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से निरंतर की जाती है। इसके अतिरिक्त, लंबित संविदात्मक मुद्दों को हल करने और परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन एजेंसियों के अधिकारियों सहित सभी हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर आवधिक समीक्षा की जाती है।

*****